# (TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

## GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI FINANCE (REVENUE-I) DEPARTMENT DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE: NEW DELHI-110 002

No. F.3(48)/Fin.(Rev-I)/2020-21/DS-IV/ /05

Dated: 30/9/30

### Notification No. 32/2020- State Tax

No. F.3(48)/Fin.(Rev-I)/2020-21/DS-IV/
-In exercise of the powers conferred by section 128 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), read with section 148 of the said Act, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of National Capital Territory of Delhi, in the Department of Finance (Revenue-I), No.76/2018- State Tax, dated the3<sup>rd</sup> September, 2019, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, videNo. No. F.3(36)/Fin.(Rev-I)/2019-20/DS-VI/ 399, dated the 3<sup>rd</sup> September, 2019, namely:-

In the said notification, after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely: -

"Provided also that the amount of late fee payable under section 47 shall stand waived for the tax period as specified in column (3) of the Table given below, for the class of registered persons mentioned in the corresponding entry in column (2) of the said Table, who fail to furnish the returns in **FORM GSTR-3B** by the due date, but furnishes the said return according to the condition mentioned in the corresponding entry in column (4) of the said ssTable, namely:--.

#### Table

S. No.	Class of registered persons	Tax period	Condition
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Taxpayers having an aggregate	February, 2020,	If return in FORM GSTR-
	turnover of more than rupees 5	March, 2020 and	3B is furnished on or
	crores in the preceding financial	April, 2020	before the 24th day of June,
	year		2020

2	Taxpayers having an aggregate	February, 2020	If return in FORM GSTR-
	turnover of more than rupees 1.5	and March, 2020	3B is furnished on or
	crores and up to rupees five crores		before the 29 <sup>th</sup> day of June,
	in the preceding financial year		2020
		April, 2020	If return in FORM GSTR-
			3B is furnished on or
			before the 30 <sup>th</sup> day of June,
			2020
3.	Taxpayers having an aggregate	February, 2020	If return in FORM GSTR-
	turnover of up to rupees 1.5 crores		3B is furnished on or
	in the preceding financial year		before the 30 <sup>th</sup> day of June,
			2020
		March, 2020	If return in FORM GSTR-
			3B is furnished on or
			before the 3 <sup>rd</sup> day of July,
			2020
		April, 2020	If return in FORM GSTR-
			3B is furnished on or
			before the 6 <sup>th</sup> day of July,
			2020.".

2. This notification shall come into force with effect from the 20<sup>th</sup> day of March, 2020.

By order and in the name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

(Manoj Kumar) Dy. Secretary IV (Finance)

No.F.3(48)/Fin(Rev-I)/2019-20/DS-IV/ /o.5

Dated: 30/9/20

Copy forwarded for information to:-

- 1. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.
- 2. The Principal Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.

- osciolary (1 mance), Govi. of NC1 of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
- The Commissioner, State Tax, Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
- The Additional Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi
- The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P.
- 7. The Additional Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate,
- 8. The P.S. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat,
- 9. OSD to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New 10. Guard File.

1%. Website.

Dy. Secretary IV (Finance)

Note: The principal notification number 76/2018 – State Tax, dated the 3<sup>rd</sup> September, 2019, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide No. F.3(36)/Fin.(Rev-I)/2019-20/DS-VI/399, dated the 3<sup>rd</sup> September, 2019.

# (दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग चार में प्रकाशनार्थ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार वित्त (राजस्व—1) विभाग, दिल्ली सचिवालय, आई. पी. इस्टेट, नई दिल्ली—110002.

सं.फा. ३(४८) / वित्त(राजस्व—।) / २०२०—२१ / डी.एस. १४ / १० ऽ

दिनांकः 30/9/40

# अधिसूचना संख्या 32/2020-राज्य कर

सं.फा. 3(48) / वित्त(राजस्व-1) / 2020-21 / डी.एस. IV / - दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) (जिसे इसके पश्चात इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 के साथ पठित धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, दिल्ली सरकार के वित्त विभाग (राजस्व-1) की अधिसूचना सं 76 / 2018-राज्य कर, दिनांक 03 / 09 / 2019, जिसे सं. फा. 3(36) / वित्त(राजस्व-1) / 2019-20 / डीएस-VI / 899 के तहत दिल्ली के राजपत्र असाधारण के भाग- IV, में प्रकाशित किया गया था, में निम्नित्खित संशोधन करते हैं, अर्थात:-

उक्त अधिसूचना के दूसरे परंतुक के बाद निम्नलिखित प्रन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात् :-

"परंतु यह भी कि उन पंजीकृत व्यक्तियों के वर्ग के लिए जो की निम्न तालिका के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट किए गए है, और जो नियत तारीख तक प्ररूप जीएसटीआर—3ख में विवरणी प्रस्तुत नहीं करते हैं लेकिन स्तंभ (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लेखित शर्त के अधीन उक्त विवरणी प्रस्तुत करते हैं, उक्त अधिनियम की धारा 47 के प्रावधानों के अधीन देय विलंभ फीस को उस कर अविध के लिए अधित्यक्त हो जाएगी, जो स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में निर्दिष्ट, निम्नलिखित कर अविध है, ——

## तालिका

क्र०सं० (1)	पंजीकृत व्यक्तियों का वर्ग (2) करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5	कर अवधि (3) फरवरी, 2020, मार्च,	शर्त (4)
	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कल आवर्त 4.5	2020 और अप्रैल, 2020 फरवरी, 2020 और मार्च,	यदि प्ररूप जीएसटीआर—3ख में विवरणी 24 जून, 2020 य उससे पहले प्रस्तुत की जाती है यदि प्ररूप जीएसटीआर—3ख
	करोड़ रुपये से अधिक हो लेकिन 5 करोड़ रुपये तक हो	2020 अप्रैल, 2020	में विवरणी 29 जून, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है यदि प्ररूप जीएसटीआर–3ख
-	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 1.5	फरवरी, 2020	में विवरणी 30 जून, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है यदि प्ररूप जीएसटीआर–3ख

 करोड़ रुपये तक हो		उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
	मार्च, 2020	यदि प्ररूप जीएसटीआर—3ख में विवरणी 3 जुलाई, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
	अप्रैल, 2020	यदि प्ररूप जीएसटीआर—3ख में विवरणी 6 जुलाई, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है।"

2. इस अधिसूचना को 20 मार्च 2020 से लागू माना जाएगा ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर्

> (मनोज कुमार) उप सचिव- IV (वित्त)

सं.फा. 3(48) / वित्त(राजस्व-I) / 2020-21 / डी.एस. IV / / 0.5

दिनांकः २०/8/२०

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारितः

- 1. माननीय प्रधान सचिव, उपराज्यपाल, दिल्ली।
- 2. प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग – चार असाधारण में प्रकाशनार्थ।
- 3. सचिव, वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

4. आयुक्त, राज्य कर, दिल्ली, व्यापार भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली।

- 5. माननीय मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय,
- 6. वित्त मंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 7. अतिरिक्त सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

8. नेता प्रतिपक्ष के निजी सचिव, 29, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।

9. मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

10 र्गार्ड फाइल। 🕦 वेब साईट I

उप सचिव- 10 (वित्त)

नोटः मूल अधिसूचना सं 76/2018-राज्य कर, दिनांक 03/09/2019, जिसे सं. फा. 3(36) / वित्त(राजस्व-1) / 2019-20 / डीएस-vı / 899 के तहत दिल्ली के राजपत्र असाधारण के भागıv, में प्रकाशित किया गया था।